3 4-2000-10 लाख फा.

Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

.... बनाम .... सन् ....

ुकदमा .... नं० ....

ीख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	13/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 20/11/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
	20/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं० 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं। एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई पत्रावली दिनांक 17/12/2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
	17/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली में तहसीलदार [illegible] की रिपोर्ट दिनांक 8/12/2025 प्राप्त [illegible] पत्रावली हो। बहस प्रार्थना सुनी गई। प्रार्थना स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर [illegible] निस्तारण [illegible] निर्णय [illegible] से [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] कार्य [illegible] दे। [signature] 17/12/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्याः– 142/2025
प्रकरण दर्ज दिनांकः– 07.10.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक :– 17.12.2025

उनवान

1. प्रहलाद पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

:–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई।

:–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पत्थरगढी किये जाने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट जरिये वकील श्री अमरसिंह गुर्जर के इस आशय से पेश किया है कि भूमि काश्त खाता संख्या नया 101 पुराना 94 के खसरा सं. 1074 रकबा 0.06 हैक्टे., खसरा सं. 1075 रकबा 0.85 हैक्टे. ,खसरा सं. 1233 रकबा 1.15 हैक्टे., खसरा सं. 1238 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा सं. 167 रकबा 0.06 हैक्टे., खसरा सं. 168 रकबा 0.12 हैक्टे., खसरा सं. 180 रकबा 0.16 हैक्टे., खसरा सं. 184 रकबा 0.04 हैक्टे., खसरा सं. 185 रकबा 0.34 हैक्टे., खसरा सं. 185/1389 रकबा 0.10 हैक्टे., खसरा सं. 377 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा सं. 378 रकबा 0.13 हैक्टे., खसरा सं. 379 रकबा 0.55 हैक्टे., खसरा सं. 380 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा सं. 381 रकबा 0.07 हैक्टे., खसरा सं. 406 रकबा 0.25 हैक्टे. स्थित ग्राम रलावता तहसील बसवा हाल बांदीकुई जिला दौसा मे है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है व काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। संलग्न जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 पेश है। प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा सं. 377, 378, 379, 380, 381 की पत्थरगढी नहीं होने के कारण काश्त के समय सीमाओं को लेकर विवाद होने की संभावना बनी रहती है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में स्थायी सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण कृषि भूमि की स्थायी सुरक्षा दीवार भी नहीं कर पा रहे है। जिसके कारण आवारा जानवर प्रार्थी की फसल को नष्ट कर देते है, जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान उठाना पडता है। इस कारण प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा सं. 377, 378, 379, 380, 381 की पत्थरगढी करवाया जाना कानूनन एवं इंसाफन न्यायोचित है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि की सीमाज्ञान करवाने के लिए अप्रार्थी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार दिनांक 23.06.2025 को हल्का पटवारी एवं गिरदावर द्वारा मौके पर कृषि भूमि का सीमाज्ञान किया जा चुका है। जिसकी प्रति संलग्न है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा सं. 377, 378, 379, 380, 381 की पत्थरगढी करवाया जाना कानूनन इन्साफन जरूरी है। अतएव प्रार्थना पत्र पत्थरगढी मय

Scanned with OKEN Scanner

शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा सं. 377, 378, 379, 380, 381 वाके ग्राम रलावता पटवार हल्का बडियाल कलां तहसील बांदीकुई की पत्थरगढी सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2025 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार बांदीकुई को पत्र जारी कर उक्त प्रकरण में रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की:– ग्राम रलावता के आराजी ख0नं0 377 रकबा 0.05 है0 खसरा नं0 378 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 380 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 381 रकबा 0.07 है0 की खातेदारी प्रहलाद पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर सा.देह खातेदार राहिन यूकों बैंक शाखा बडियाल कलां के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान दिनांक 23.06.25 को किया जा चुका है। प्रार्थी का मूल विवाद आराजी ख0नं0 378 पर है, उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 378 वर्तमान में पडत है। उक्त खसरा नम्बर की पश्चिम दिशा पर उत्तर दक्षिण सीसी रोड बनी हुयी है। मौके पर पुलिस जाप्ता एवं राजस्व टीम के द्वारा ही पत्थरगढी की कार्यवाही संपादित की जा सकती है।

प्रार्थी वकील द्वारा पत्रावली पर बहस की गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना–पत्र को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किये जाने का कथन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में मौका पर्चा दिनांक 23.06.2025 की छायाप्रति एवं तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 377, 378, 379, 380, 381 का सीमाज्ञान किया जाना अंकित है। वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान होने से सीमाज्ञान किये गये खसरा नम्बरान की पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 128 स्वीकार किया जाकर ग्राम रलावता तहसील बसवा हाल बांदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा सं. 377, 378, 379, 380, 381 में दिनांक 23.06.2025 को किये गये सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी की जावे। तहसीलदार बांदीकुई नियमानुसार पालना सुनिश्चित करे। तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner